

आवेदन की तिथि 12/11/15
 अभिलेखना की तिथि 16/11/15
 निर्गत तिथि 16/11/15

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या... 1637 (11) / 2015-16


(11) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
निर्गत	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती... श्री/श्रीमती इव पिता/पति... साकिम थाना... जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा... मौजा नं०... खाला नं०... प्लॉट नं०... रकबा... दलील सं०... दिनांक... के द्वारा श्री/श्रीमती... से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक... को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं०... में विक्रेता के विक्रेता के... के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुदांक की राशि को कोषगार में जमा कर दलील को वैध कर लिया गया है। प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को... किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा। लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p>भैने मिलान किया सहायक</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p> <p>प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि प्रधान सहायक अंचल कार्यालय धनबाद।</p>

मेरे द्वारा फोटो कोपी किया गया

प्रतिलिपिक / टंकक

Vimala Devi



र में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र
 जिला- धनबाद , अनुमण्डल -धनबाद अंचल -धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम- झारखण्ड

दिनांक 12/11/15
 दिनांक 14/11/15
 16/11/15

1	क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में केस संख्या	नाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्रक्रिया और कार्रवाई की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है बिना, दान विनियम, उत्तराधिकार या बचपन हुआ है ?	नामान्तरण से प्रमाणित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
		दा० खा० 1637 (II) 15-16	दीना	धनबाद 06	खाता- 90 - - प्लॉट- 562 - - रकबा- 1.43 बरस (2.36 बीघा) लगान- 28.00 रु० /	अंचल अधिकारी धनबाद	बिक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 7505- 1540/5	पुराना जमा०- 90 पुराना रैयत- निम्नान्वर सिंह दीनार नया रैयत- सिक्का देवी फारि दिमि वजय सिंह दा०- जमसुद्धर के सिक्का देवी, अलमारी देवी, अकलांड	जमा सं० - - - में दर्ज किया मैने मिलान किया	सहायक

ज्ञापक संख्या..... ता०..... 2015
 कर्मचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी
 धनबाद
 मेरे द्वारा फोटो कोपी
 किया गया 12/11/15
 प्रतिलिपिक/टंकक

प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
 अमांज 30-11-15
 प्रधान सहायक
 अंचल कार्यालय
 धनबाद

Vimala Devi



अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 1766 (11) / 2016-17

आवेदन की तिथि
अधिसूचना की तिथि
निर्गत तिथि



15/10/16
20/10/16
21/10/16

(II) आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
21/9/16	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>विमला देवी</u> पिता/पति <u>दिग्विजय सिंह</u> साकिम <u>पुसासुख श्री. सिंह</u> थाना <u>सुपुडा</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है। आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा <u>सुपुडा</u> मौजा नं० <u>0.6</u> खाता नं० <u>90</u> प्लॉट नं० <u>5.62</u> रकवा <u>0.57</u> दलील सं० <u>4822</u> दिनांक <u>18.8.16</u> के द्वारा श्री/श्रीमती <u>शिव नारायण सिंह</u> से प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>5/10/16</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।
5/10/16	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> भूमि रैयती खाते की है। जमाबंदी सं० <u>90</u> में बिक्रेता-के/विक्रेता के <u>सुपुडा</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है। आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्रगत जमीन पर दखल कब्जा में है। निबंधन धनबाद कस्बकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की राशि को चोषागर में जमा कर दलील को वैध कर लिया गया है। प्रश्रगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है। <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>खारिज</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखपित एम० संशोधित मैंने मिलान किया अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	शुद्धि पत्र प्राप्त किया

द्वारा फोटो कोपी
केया गया
प्रतिलिपिक / टंकक

Vimala devi
प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि
प्रधान अंचल अधिकारी
अंचल कार्यालय
धनबाद



में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण (दाखल-खारिज) दिखानेवाला शुद्धि-पत्र

- धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद, इल्का सं०-(II) स्टेट का नाम - झारखण्ड

आवेदन की तिथि 12/10/16
अधिसूचना की तिथि 28/10/16
निर्गत तिथि 21/11/16

क्र. सं.	संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	नाम	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनिमय, उत्तराधिकार या बदलाव हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा इल्का एजीक्यूट तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
1									
2	1766 (II) 16-17	श्री/	धनबाद 06	खाता- 90 -- प्लॉट- 562 -- रकबा- 0.57 डिसेमिटर -- लगान- 1.00 रु०/	अंचल अधिकारी धनबाद	विक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 4822/188/16	पुराना जमा०:- 90 -- पुराना रैयत:- फिनामल/सिड फील्ड नया रैयत:- नक्सल/इनी फिलि डिनिजल/सिड (सां- जमरामंडा की सिमडी/कलेक्टर/	जमा. सं० _____ में दर्ज किया	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

शेपांक संख्या _____ ता० _____ 2016

कर्मचारी इल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

मैंने द्वारा फोटो कोपी देया गया 21/11/16
प्रतिनिधिक/टं

मैंने मिलान किया

Vimala Devi

प्रमाणित संघी प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय धनबाद